

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 10 जनवरी 2024-पौष 20, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2024

क्रं.-CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (01).- राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT) (34), दिनांक 01 सितम्बर, 2023, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना प्रकाशन दिनांक के स्थान पर 1 जनवरी 2024 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2024

क्रं.-CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक-CT-8-0009-2023-Sec-1-पांच (CT)-(01), दिनांक 10 जनवरी 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वंदना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 10th January 2024

No. CT-8-0009-2023-Sec-1-05(CT) (01) : In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in this department's notification No. CT-8-0009-2023-Sec-1-05(CT) (34) dated the 1st September, 2023, namely:-

In the said notification, for the words, numbers and figures "be deemed to have come into force from the 31st July,2023" shall be substituted by the words, numbers and figures "come into force from 1st day of January 2024".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.